



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 837) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
7 अक्टूबर 2016

एस०ओ० 275, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 15ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, अधिनियम के अधीन निबंधित डेवलपर्स को, उनके द्वारा अधिनियम के अधीन देयकर के बदले, कार्यसंविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल या स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य, जो भी उच्चतर हो, का एक प्रतिशत भुगतान निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए करने की अनुमति देते हैं—

- (i) ऐसा डेवलपर अधिनियम की धारा-15ग के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान का विकल्प देने के लिए अंचल प्रभारी, जिनके क्षेत्राधिकार में वह निबंधित है, के समक्ष दो फोटोग्राफ के साथ प्रपत्र A-XVI में आवेदन दाखिल करेगा।
- (ii) अंचल प्रभारी डेवलपर के द्वारा विहित प्रपत्र में दाखिल सूचनाके पूर्णता एवं सत्यता की जाँच आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर करेंगे तथा जाँचोपरान्त संतुष्ट होने पर अधिनियम के अधीन देयकर के बदले प्रशमन करने वाली राशि का भुगतान करने की अनुमति लिखित रूप में प्रदान करेंगे।
- (iii) ऐसे डेवलपर राज्य के भीतर किये गये किसी भी क्रय अथवा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-12 के अधीन मालों के आरंभिक भंडार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे।
परन्तु, यदि डेवलपर द्वारा राज्य के भीतर किये गये किसी वस्तु के क्रय पर इनपुट टैक्स का लाभ ले लिया गया है एवं प्रशमन करने वाला विकल्प देने के समय ऐसा माल भंडार में मौजूद है तो ऐसे मालों पर लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान प्रशमन करने वाला आवेदन देने के समय किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि, प्रशमन करने वाला विकल्प देने के समय डेवलपर के पास राज्य के बाहर से की गयी माल की खरीद/प्राप्ति का कोई भंडार शेष हो तो वह उस माल के क्रय मूल्य पर संगुणित कर की राशि के समतुल्य राशि भुगतान करने के लिए दायी होगा, मानो ऐसा माल राज्य के भीतर निबंधित व्यवसायी से क्रय किया गया था।

- (iv) ऐसे डेवलपर्स, जिन्हें कर-प्रशमनके अधीन कर भुगतान करने की अनुज्ञा दी गयी है, करबीजक निर्गत करने के हकदार नहीं होंगे।
- (v) यदि ऐसे डेवलपर्स द्वारा राज्य के भीतर निबंधित व्यवसायी के अतिरिक्त किसी अन्य से करदेय मालों की खरीद/प्राप्ति की गयी है जिसपर कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा डेवलपर ऐसे माल के क्रय मूल्य पर संगुणित कर की राशि के समतुल्य राशि भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो कर की राशि ऐसे माल को राज्य के भीतर निबंधित व्यवसायियों से खरीद करने पर भुगतेय होती एवं भुगतान किया गया ऐसा कर प्रशमन स्कीम के करदायित्व से सामंजन योग्य नहीं होगा।
- (vi) प्रशमन करने वाली अवधि में ऐसे डेवलपर्स कार्यसंविदा में प्रयुक्त करने हेतु मालों का क्रय/प्राप्ति राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से करने के हकदार होंगे। डेवलपर सुविधा (प्रपत्र D-IX) का प्रयोग करने हेतु सक्षम होंगे साथ ही यदि वे केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निबंधित हैं तो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन विहित केन्द्रीय प्रपत्र C/F भी प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु उन्हें ऐसे मालों के क्रय मूल्य पर संगुणित कर की राशि के समतुल्य कर चुकाना होगा जो ऐसे मालों को राज्य के भीतर क्रय किये जाने की स्थिति में देय होता एवं यह कर उनकी प्रशमन करने वाली राशि की देयता से समायोजित नहीं होगा:

परन्तु, यदि डेवलपर नेबिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अधीन अनुसूचित वस्तुओं के आयात पर प्रवेश कर जमा किया है तो डेवलपर ऐसी वस्तुओं पर भुगतेय वैट का दायित्व, प्रवेश कर अधिनियम के अधीन चुकाये गये कर की सीमा तक घटाने हेतु अधिकृत होगा।

- (vii) जहाँ कोई डेवलपर अपने संविदा का कोई भाग किसी दूसरे संवेदक अथवा उपसंवेदक को प्रदान करता है तो वह ऐसे संवेदक अथवा उपसंवेदक द्वारा चुकाये गये कर का सामंजन लेने हेतु अधिकृत नहीं होगा।
- (viii) ऐसे डेवलपर द्वारा अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई राशि संग्रहित नहीं की जाएगी।
- (ix) ऐसे डेवलपर के कर भुगतान की अवधि मासिक होगी एवं प्रत्येक माह के कर का भुगतान अगले माह के पन्द्रह तारीख तक किया जायेगा।
- (x) ऐसे डेवलपर, जिसे देयकर के बदले में प्रशमन करने वाली राशि का भुगतान करने की अनुमति दी गयी है, नियमावली के नियम 19(2) के अनुसार विहित प्रपत्र RT-I क में त्रैमासिक विवरणी एवं प्रपत्र RT-III ख में वार्षिक विवरणी दाखिल करेंगे।
- (xi) डेवलपर्स अपने सभी क्रय के लिए सभी करबीजक तथा सभी खुदरा बीजक का मूलप्रति रखेंगे।
- (xii) खंड (i) में वर्णित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-15ग के अधीन प्रशमन करने वाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदन निम्नलिखित होगा—

फारम A-XVI

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-15ग के अधीन डेवलपर्स द्वारा प्रशमन करने वाला विकल्प हेतु आवेदन-

सेवा में,

अंचल प्रभारी,

..... अंचल

मैं.....(पूरा नाम) पुत्र/पुत्री.....(पिता का नाम)

निवासी(पूरा पता) हैसियत.....

(मालिक/साझेदार/प्रबन्धनिदेशक/कर्ता/अधिकृत व्यक्ति) सर्वश्री.....(प्रतिष्ठान का पूरा नाम) एतद् द्वारा अधिनियम के अधीन देयकर के बदले बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-15ग के अधीन निश्चित राशि भुगतान करने के विकल्प का चुनाव करता हूँ और इस उद्देश्य हेतु निम्नांकित विशिष्टियाँ समर्पित करता हूँ:-

(क) फर्म/कम्पनी का ब्यौरा:-

1. व्यवसाय का नाम एवं अभिनाम
2. करदाता पहचान संख्या
3. करदेयता की तिथि
4. व्यवसाय का पूर्ण पता
5. व्यवसाय की विधिक स्थिति
6. प्रोजेक्ट/प्रोजेक्ट्स का पता

क्रमांक	प्रोजेक्ट / अपार्टमेंट का नाम	प्रोजेक्ट / अपार्टमेंट में कुल फ्लैट / आवासीय इकाई की संख्या	स्थान (पूरा पता अंकित करें)
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			

(ख) आरंभिक भंडार का मूल्य जिस पर डेवलपर कर भुगतान के लिए दायी है-

क्र० सं०	कर की दर	आरंभिक भंडार में शामिल वैसे माल जिनकी खरीद राज्यान्तर्गत की गयी है तथा जिन पर पूर्व में निविष्ट कर का लाभ लिया गया है।	राज्य के बाहर से क्रय किया गया माल जो आरंभिक भंडार में शामिल है।	कॉलम-3 में दर्शाये गये आरंभिक भंडार पर दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि।	कॉलम-4 में दर्शाये गये माल पर देयकर की राशि।	डेवलपर द्वारा भुगतेय कर की कुल राशि (कॉलम 5 + कॉलम 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
कुल						

(ग) भुगतान किये गये कर का ब्यौरा—

भुगतान का विवरण		राशि
1	बैंक ड्राफ्ट/चेक (संख्या, भुगतान की तिथि एवं बैंक का नाम अंकित करें)	
2	नगद	
3	अन्य विधि से	
कुल		

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में समर्पित विशिष्टियाँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है।

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर

व्यवसायी/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
(व्यवसाय का स्टाम्प/मुहर)

पावती रसीद

अधोहस्ताक्षरी मेसर्स टिन से अधिनियम के अधीन देयकर के बदले बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-15ग के अधीन एक निश्चित राशि के भुगतान हेतु नीचे उल्लेखित तिथि पर दाखिल आवेदन की प्राप्ति स्वीकार करते हैं—

1. आवेदन प्राप्ति की तिथि
2. हस्ताक्षर
(प्राप्तकर्ता का नाम एवं पदनाम)

(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-08/2016-3844)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 276, एस०ओ० 275 दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-08/2016-3845)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

The 7th October 2016

S.O. 275, dated 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by Section 15C of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar permits developers registered under the Act to pay one percent of the total value of consideration received in execution of works contract or value specified for the purpose of the stamp duty, whichever is higher, in lieu of the tax payable by them under the Act, subject to the conditions and restrictions mentioned below :-

- (i) Such developers shall make an application in form A-XVI regarding the option to pay tax in accordance with the provisions of Section 15C of the Act, along with two copies of recent passport size photographs to the Circle Incharge in whose jurisdiction the developer is registered.
- (ii) The Circle Incharge, if satisfied after making an enquiry within fifteen days of receipt of application that the information furnished to him in the said prescribed Performa by the developer is complete and correct, shall permit him in writing to pay compounding money in lieu of the tax payable by him under the Act.
- (iii) Such developers shall not be entitled to input tax credit for any purchase made within the State or on the stock of goods in hand under Rule 12 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005:

Provided that if the input tax, in respect of any goods purchased within the State has been availed by the developer and such goods are held in stock at the time of opting for compounding scheme, an amount equal to the input tax credit in respect of such goods shall be deposited by the developer, at the time of making application for the compounding scheme:

Provided also that in respect of any goods purchased/received from outside the State and such goods are held in stock at the time of option of compounding scheme, the developers, at the time of making option for compounding, shall be liable to pay an amount equal to the amount of tax calculated on purchase value that would have been payable on the goods, had the goods been purchased within the State from a registered dealer.

- (iv) Such developers, who have been permitted to pay by way of compounding of tax, shall not be entitled to issue any tax invoice.
- (v) If such developers purchase or receive any taxable goods from dealers other than the registered dealers from within the State on which no tax has been paid, the developer shall be liable to pay an amount equal to the amount of tax calculated on the purchase value that would have been payable, had the goods been purchased within the State from a registered dealer and such tax shall not be adjustable towards his composition scheme liability.
- (vi) Such developers shall be entitled to purchase or receive goods from any place outside the State or from out of India to be used in the execution of contract at any time during the compounding scheme period. The developers shall be entitled to used SUVIDHA (Form-DIX) and also be entitled to get form-C/F prescribed in Central Sales Tax Act, 1956 if the developers are registered under the Central Sales Tax Act, 1956. But he shall have to pay an amount equal to the amount of tax calculated on purchase value that would have been payable on the goods, had the goods been purchased within the State from a registered dealer and such tax shall not be adjusted towards his compounding tax liability:

Provided that if the developer has deposited entry tax on import of scheduled goods under Bihar Tax on entry of goods into local area for consumption, use or sale therein Act, 1993, the developer shall be entitled to reduce his liability of VAT payable on those goods to the extent of tax paid under the Entry Tax Act.

- (vii) where such developers award any portion of his contract to another contractor or sub-contractor, he shall not be eligible to take adjustment on account of any tax paid by the contractor or the sub-contractor under the Act.
- (viii) such developers shall not collect any amount by way of tax under the Act.

- (ix) The tax period for such compounding developers shall be monthly and the payment of tax payable by him shall be paid before the fifteenth day of the following month.
- (x) Such developers who have been permitted to pay by way of compounding of tax shall file Quarterly Return in form RT-IA and annual return in form RT-IIIB as prescribed in Rule 19 (2).
- (xi) The developer shall retain the originals of all tax invoices and all retail invoices for all purchases.
- (xii) Application for opting compounding scheme in respect of developer under Section 15C of the Bihar Value Added Tax Act, 2005, as mentioned in clause (i) above shall be the following:-

"FORM A-XVI

Application for opting Compounding Scheme in respect of developers under Section 15C of the Bihar Value Added Tax Act, 2005.

To,

The Circle Incharge,
..... Circle.

I..... (full name), son/daughter
of(name of the father), resident
of.....(complete address), in the capacity of
.....(proprietor/partner/managing director/karta/ authorized person)
of M/s..... (full name of the business entity/dealer), hereby
opt to pay a fix amount under Section 15C of Bihar Value Added Tax Act, 2005 in lieu of tax
payable under the Act, and furnishes following particulars for that purpose-

(a) Details of firm/company:-

1. Name and style of business
2. TIN
3. Date of liability
4. Complete Address of the business
5. Legal status of the business
6. Address of Project/Projects

Sl. No.	Name of the project/apartment	Total no of flats/dwelling units in project/apartment	Location (give detail address)
1			
2			
3			
4			
5			

(b) Value of opening stock on which developer is liable to pay tax:-

Sl. No.	Rate of Tax	Value of goods Purchased within the State on which ITC has been availed earlier and is lying in the opening stock	Value of goods Purchased from outside the State and is lying in the opening stock	Amount of Input tax credit availed on goods lying in the opening stock shown in column-3	Amount of VAT payable on stock shown in column-4	Total amount of tax payable by the developer (Col 5+ col 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
Total						

(c) Details of Tax deposited:-

Payment details		Amount
1	DD/Cheque (specify no., date of payment and name of issuing Bank)	
2	Cash	
3	Any other mode	
Total		

Verification

I do hereby declare that the particulars furnished in this declaration are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature

Date:

**(name of the dealer/authorised signatory)
Affix seal/stamp of the business''**

ACKNOWLEDGEMENT

The undersigned acknowledge having received the original of this application for payment of a fixed amount under Section 15C of Bihar Value Added Tax Act, 2005 in lieu of tax payable under the Act from M/s.having TIN: on the date mentioned below:-

(1) Date of receipt of application:

(2) Signature

(Name & designation of receiver)

(No.Bikri-kar/Sansodhan- 8/2016-3844)

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURWEDI,

Commissioner Commercial Taxes-cum- Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 837-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>